

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

सज्जन आर०, भा०प्र०से०
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 21-11-25

विषय:- उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को प्रभार देने के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 (यथासंशोधित) के अधीन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधानाध्यापक को प्रभार नहीं प्राप्त होने के संबंध में कतिपय जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है। पूर्व से मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापक जो उत्क्रमण के पश्चात उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा प्रभार नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में अंकनीय है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय अलग-अलग ईकाई के रूप में है एवं उनका UDISE CODE भी अलग-अलग है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि आपके जिला अन्तर्गत ऐसे मामलों में अथवा किसी अन्य कारण से भी नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को प्रभार न मिलने की स्थिति में यथाशीघ्र विद्यालय का सम्पूर्ण प्रभार हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(सज्जन आर०)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।